न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2016/00255 (15/2016)

जगदीश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी मेघाना तहसील नोहर । –अपीलान्ट

बनाम

1. लूण सिह पुत्र स्व भोपाल सिह जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। (राज0)
2. कान सिंह } पि0 भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी मेघाना तहसील
3. प्रभू सिह } नोहर जिला हनुमानगढ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर। –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 20.08.2007

उपखण्ड अधिकारी, नोहर

प्र0 संख्या 87/2007 बअनवान लूण सिह बनाम जगदीश

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1, 2, 3

निर्णय दिनांक – 12.01.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान कातश्कारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वाद में कथन कियाकि रोही मौजा मेघाना में कुल 968.07 बीघा भूमि मृतक मघसिंह, भूर सिंह, पि0 हरिसिंह व मु0 जुहारा बेवा प्रताप सिह, सुगन सिह पुत्र हरनाथ सिह अकवाम राजपूत साकिन मेघाना की मुश्तरका खातेदारी भूमि थी। उपरोक्त भूमि में से जुहारासिह ने दिनांक 25.09.1962 को ख. नं. 25/6/1 की

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

तादादी 30.01 बीघा व 25/8 की 43.11 बीघा कुल 73.12 बीघा भूमि वादी के पिता भोपाल सिंह की विक्रय कर दी। इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 3 की माता मानी देवी ने मु0 जुहारा से ख. नं. 195 की 31.19 बीघा व ख. नं. 185/2 की 15.12 बीघा कुल 47.11 बीघा दिनांक 25.09.1962 को बैय की। इस प्रकार वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पिता भोपाल सिंह के पास 73.11 बीघा व प्रतिवादी सं0 4 मानी देवी के पास 47.11 बीघा कुल 121.03 बीघा भूमि के खरीदशुदा खातेदार काश्तकार हुए। भोपालसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। वादी के पिता की खातेदारी भूमि में जिसमें 35.00 बीघा भूमि बैय कर दी शेष 38.12 बीघा भूमि जिस पर पहले वादी के पिता अब उनके वारिस प्रतिवादी सं0 2 ता 4 काबिज हैं लगातार कब्जा काश्त में है, जो प्रस्तुत रिकार्ड से साबित है, परन्तु वरवक्त पैमाईश भू–प्रबन्ध विभाग ने उक्त भूमि में से 10.12 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 1 क नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। जबकि प्रतिवादी का उक्त भूमि पर ना तो कोई कब्जा है ना ही उक्त भूमि पर उसका कोई अधिकार है। उसके पास उक्त भूमि संबंधी कोई दस्तावेज नही है। वाद भूमि वादी के पिता की मोरूसी भूमि है। अतः प्रतिवादी सं0 1 के नाम 10.12 बीघा भूमि कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के नाम दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादी ने दावा पेश करके अपीलाण्ट का बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो अपीलाण्ट के हितों के मुकाबले शून्य है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि अपीलाण्ट की खरीदशुदा भूमि है तथा लगातार कबिज चला आ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रहा ह फिर भी मातहत अदालत ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य व बिना पटवारी की रिपोर्ट तथा बिना सुनवाई किये मनमाना निर्णय पारित करके भारी भूल की है। विवादित भूमि 868 बीघा का एकल खेत है। मौका खसरा किस खसरे में बना है तथा किसके कब्जा में है बिना जांच पड़ताल किये मात्र वादी के मौखिक कथनों के आधार पर दावा डिक्री है जो अपीलाण्ट के हितों के खिलाफ है। निर्णय से पूर्व अपीलांट को नोटिस नहीं दिया गया मात्र नोटिस पर अपने किसी परिचित के हस्ताक्षर कवाकर माता को देना तथा चस्पा लिखकर विधि विरूद्ध तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही करके निर्णय पारित किया है। अपीलांट को इस दावा बाबत कोई सूचना नही दी गई। अपीलांट को निर्णय बाबत ज्ञान नहीं था क्यों कि विवादित भूमि पर आज भी अपीलांट का कब्जा काश्त है दिनांक 25.03.2016 को पटवारी हल्का से अपनी भूमि की पैमाईश करवाने बाबत नकल जमाबंदी लेने गया तो उक्त दावा के निर्णय बाबत पता चला जिससे तुरन्त बाद बिना किसी देरी के यह अपील पेश की है। अपीलांट एक ग्रामीण व खेतीहर सिधा साधा किसान है एवं इस निर्णय बाबत ज्ञान नही था इसलिए बिना ज्ञान तथा सुनवाई के पारित निर्णय से अपीलांट के हितों का हनन होता है। इसलिए अज्ञानतावश हुई देरी को माफ करके अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानते हुए सुनवाई की जावे। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पिता भोपाल सिंह के पास 73.11 बीघा व प्रतिवादी सं0 4 मानी देवी के पास 47.11 बीघा कुल 121.03 बीघा भूमि के खरीदशुदा खातेदार काश्तकार हुए। भोपालसिंह का स्वर्गवास हो चुका है। वादी के पिता की खातेदारी भूमि में जिसमें 35.00 बीघा भूमि बैय कर दी शेष 38.12 बीघा भूमि जिस पर पहले वादी के पिता अब उनके वारिस प्रतिवादी सं0 2 ता 4 काबिज हैं लगातार कब्जा काश्त में है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जो प्रस्तुत रिकार्ड से साबित है, परन्तु वरवक्त पैमाईश भू–प्रबन्ध विभाग ने उक्त भूमि में से 10.12 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 1 क नाम गलत रूप से दर्ज कर दी। जबकि प्रतिवादी का उक्त भूमि पर ना तो कोई कब्जा है ना ही उक्त भूमि पर उसका कोई अधिकार है। उसके पास उक्त भूमि संबंधी कोई दस्तावेज नही है। वाद भूमि वादी के पिता की मोरूसी भूमि है। अतः प्रतिवादी सं0 1 के नाम 10.12 बीघा भूमि कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष मांगा था जो विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिये गये थे मगर अपीलाण्ट तामील के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही आया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.08.2007 को पारित की गई थी उसकी अपील अपीलाण्ट ने लगभग 15 वर्ष बाद पेश की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई कारण नही बताया है। दरखास्त की मद सं0 2 मनघगढंत गलत बयानी स्वीकार नहीं है। जामबन्दी ऑन लाईन कभी भी ल जा सकती है पटवारी का कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का पूर्व से ही ज्ञान था तथा 15 वर्षों की लम्बा विलम्ब माफी योग्य नही है। अपीलाण्ट ने जानबूझकर बिना सन्तोषप्रद कारण प्रकट किये इतनी देरी से अपील प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है तथा खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट को प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट करना चाहिए मात्र जमाबन्दी पटवारी से लेने का आधार पर पता चलना वो भी 15 वर्षों बाद मात्र सुसंगत आधार नहीं है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र एवं अपील खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2019 आरबीजे पेज 20, 2009 आरआरटी पेज 488, 2016 आरएलडब्ल्यू पेज 1, 1998 आरबीजे पेज 274, 1994 आरअबीजे पेज 231 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने राजस्थान कातश्कारी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसमें वरवक्त पैमाईश भू–प्रबन्ध विभाग ने प्रश्गनत भूमि में से 10.12 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम गलत रूप से दर्ज करने एवं प्रतिवादी का उस भूमि पर कब्जा नही हेाने के आधार पर प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के नाम दर्ज करने का अनुतोष मांगा था जो विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.08.2007 के द्वारा स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया था जो चस्पांदगी से तामील किया गया है। उसके बाद दिनांक 26.06.2007 को दैनिक अखबार में सम्मन साया करने के आदेश दिये गये। अखबार में सम्मन साया करने के उपरान्त अखबार की प्रति पेश हुई अपीलाण्ट के उपिस्थत नहीं आने के बाद उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.08.2007 को अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद डिक्री किया गया है। दिनांक 20.08.2007 के निर्णय की अपील अपीलाण्ट ने दिनांक 06.04.2016 को लगभग 9 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट द्वारा अपील इतने विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई पर्याप्त संतोषजनक कारण नहीं बताया है। आरआरटी 2009 (1) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''विलम्ब शमन के लिए पर्याप्त कारण नही दिया– अपील बुरी तरह से कालातीत है एवं खारिज योग्य है।'' इस प्रकरण में भी अपीलाण्ट ने लगभग 9 वर्ष बाद यह अपील पेश की है एवं अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया है। इतना लम्बा विलम्ब बिना किसी पर्याप्त कारण के क्षमा किये जाने योग्य नहीं है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज होने के कारण अपील भी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.1.23

(करतारसिह पूनियाँ)
आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★